"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 जनवरी 2003—पौष 14, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्रमांक 126.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 1 सन् 2003) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 1 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है, कि वे तुरंत कार्यवाई करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (i) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 1 सन् 2003) है.

(ii) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 5 सन् 1995) का अस्थाई रूप से संशोधन.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) निम्नलिखित धाराओं 61 एवं 62 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

धारा 61 का लोप किया जाना.

3. मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (6) के परन्तुक को लोप किया जाय.

धारा 62 का लोप किया जाना.

4. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अंतिम परन्तुक को लोप किया जाय.

रायपुर

तारीख / /2003

राज्यपाल,
छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्रमांक 126.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 1 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 1 of 2003)

CHHATTISGARH VANIJYIK KAR (AMENDMENT) ORDINANCE, 2003

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

Promulgated by the Governor in the Fifty third Year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :

Short title and Commencement.

1. (i) This ordinance may be called the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Amendment) Ordinance, 2003 (No. 1 of 2003).

   (ii) It shall come in to force with effect from 31st December, 2002.

Chhattisgarh Vanijyik Kar (Amendment) Act. 1995 (No. 5 of 1995) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to amendments specified in the following sections 61 and 62.

Omission of Section 61.

3. Proviso of sub-section (6) in section 61 of the Principal Act shall be omitted.

Omission of Section 62.

4. Last proviso of sub-section (1) in section 62 of the Principal Act shall be omitted.

Raipur
Dated / /2003.

Governor,
Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.